बिहार सरकार

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना।

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।

पत्रांक–04/STA-विविध-40/2018, परि0– 961 /पटना,दिनांक– 29.1.2020

निदेशानुसार सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार–झारखण्ड राज्य के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिटों की स्वीकृति हेतु राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक दिनांक–01.03.2019 को आयोजित की गयी थी, जिसमें कतिपय आवेदनों पर प्राप्त आपत्ति की सुनवाई हेतु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार को प्राधिकृत किया गया था।

राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के उक्त निर्णय के आलोक में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा दिनांक–22.05.2019, 28.05.2019, 30.05.2019, 19.06.2019, 02.07.2019, 09.07.2019 एवं 25.07.2019 को आपत्ति की सुनवाई की गयी। उक्त सुनवाई की कार्यवाही का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट http://transport.bih.nic.in पर दिनांक–27.01.2020 को कर दिया गया है।

उक्त कार्यवाही में स्वीकृत परमिट के निर्गमन हेतु दिनांक–27.02.2020 के अपराह्न 4.00 बजे तक परिवहन विभाग के सिंगल विन्डो (एकल खिड़की) काउन्टर पर निश्चित रूप से आवश्यक वांछित शुल्क(O-GRASS के माध्यम से) सहित वाहन के सभी अद्यतन कागजात (बीमा प्रमाण पत्र, दुरूस्ती प्रमाण पत्र एवं कर–प्रतीक), वाहन के स्पेयर होने संबंधी शपथ पत्र, लेबर प्रमाण पत्र, मोटरयान निरीक्षक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, PAN कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति एवं चालक/कंडक्टर अनुज्ञप्ति समर्पित करेंगे।

उपर्युक्त निर्धारित तिथि एवं समय तक सभी कागजात एवं शुल्क समर्पित नहीं किया जाता है तो दिनांक–28.02.2020 से स्वीकृत परमिट स्वतः रद्द माना जायेगा।

29/1/2020

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।